निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण 1936 (श0)
(सं0 पटना 1039) पटना, बुधवार, 17 दिसम्बर 2014

सं0 08/आरोप–01–199/2014,सा०प्र०–15492

सामान्य प्रशासन विभाग

————————

संकल्प

13 नवम्बर 2014

श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 568/08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरौली, सीवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सीवान के ज्ञापांक 1578 दिनांक 05.04.1998 द्वारा एक भूमिहीन एवं प्रश्रयप्राप्त व्यक्ति को पूर्व में निर्गत एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5268/90 ''ध्रुव जी प्रसाद बनाम बिहार सरकार'' में बहाल रखे गये वासगीत पर्चा को राजस्व शक्तियाँ अप्राप्त रहते हुए जालसाजी, हेराफेरी एवं व्यक्तिगत् स्वार्थ से वशीभूत होकर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर दोनों पक्षों को सुने बिना रद्द कर देने के आरोप के लिए श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक 6473 दिनांक 12.06.1998 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा जिला पदाधिकारी, सीवान के पत्रांक 162 दिनांक 28.01.2010 तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 623 दिनांक 14.07.2010 द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय स्तर पर ही समुचित निर्णय लिया जाय। तद्आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 7727 दिनांक 07.07.2011 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 32 दिनांक 01.02.2012 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 8156 दिनांक 24.05.2013 द्वारा श्री गुप्ता को जाँच प्रतिवेदन की प्रति भेजते हुए अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत अस्वीकार योग्य पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 17952 दिनांक 25.11.2013 द्वारा श्री गुप्ता को निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की गई :–

(i) निन्दन।

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक।

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सं०–13967/13 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 13.08.2014 का कार्यान्वयक अंश निम्नवत हैः–

" Accordingly, the impugned order dated 25-11-2013 (Annexure-12) is quashed. The consequence of this order would have been to remit the matter back to the disciplinary authority but in view of the aforesaid facts and circumstances, this Court does not intend to do so as the charges relate to the year 1998 and the petitioner has already suffered due to abnormal unexplained delay in conclusion of the departmental proceeding against him. The petitioner is therefore held entitled to all the consequential benefits."

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री गुप्ता को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–17952, दिनांक 25.11.2013 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया जाता है।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1039-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in